106

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर
समक्ष : मनोज गोयल,
अध्यक्ष

प्रकरण क्रमांक निगरानी 3007–पीबीआर/2013 विरूद्ध आदेश दिनांक 6–6–2013 पारित द्वारा अपर आयुक्त नर्मदापुरम संभाग होशंगाबाद, प्रकरण कमांक 11/अपील/2010–11

....

फगन्या पिता नत्थु किराड़
ग्राम बागदा तहसील आमला जिला बैतूल

.... आवेदक

विरूद्ध

1–बलीराम आत्मज नत्थू किराड़
2–श्रीमती चेतीबाई पत्नी गेंदालाल
दोनों निवासी ग्राम अंधरिया तहसील आमला
जिला बैतूल

.... अनावेदकगण

....

श्री यशवंत साहू, अभिभाषक–आवेदक

....

:: आदेश ::
(आज दिनांक 11/5/18 को पारित)

यह निगरानी आवेदक द्वारा मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संक्षेप में केवल "संहिता" कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त नर्मदापुरम संभाग होशंगाबाद द्वारा पारित आदेश दिनांक 6–6–2013 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण के तथ्य सन्क्षेप में इस प्रकार है कि आवेदक द्वारा तहसीलदार बैतूल के समक्ष इस आशय का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया कि मौजा बागदा स्थित कृषि भूमि सर्वे कमांक 13/3 रकबा 4.221 हेक्टेयर, सर्वे नम्बर 96/1 रकबा 1.437 हेक्टेयर, सर्वे नम्बर 97/6 रकबा 1.700 हेक्टेयर भूमि आवेदक एवं नत्थू के

नाम से राजस्व अभिलेखों में दर्ज थी । नत्थू की मृत्य हो जाने से उसका नाम निरस्त किया जाकर आवेदक का नाम यथावत् रखे जावे । तहसीलदार द्वारा प्रकरण दर्ज कर दिनांक 29–12–09 को आदेश पारित कर नत्थू का नाम निरस्त किया जाकर आवेदक का नाम यथावत् रखा गया । तहसीलदार के आदेश के विरूद्ध अनावेदकगण द्वारा प्रथम अपील अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 7–6–10 को आदेश पारित किया जाकर तहसीलदार का आदेश दिनांक 29–12–2009 निरस्त किया गया एवं प्रकरण फौती नामान्तरण हेतु तहसीलदार को भेजा गया । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध अपर आयुक्त के समक्ष द्वितीय अपील प्रस्तुत की गई और अपर आयुक्त द्वारा दिनांक 6–6–13 को आदेश पारित कर अनुविभागीय अधिकारी के आदेश में इस आशय का संशोधन कर कि नत्थू के वारिसों का केवल नत्थू के स्वत्व, स्वामित्व के हिस्से के 1/2 पर ही फौती नामान्तरण किया जाये, शेष आदेश यथावत् रखा जाकर अपील आंशिक रूप से स्वीकार की गई। अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा लिखित तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं ।

(1) अपर आयुक्त द्वारा तहसीलदार एवं अनुविभागीय अधिकारी के प्रकरण एवं दस्तावेजों का बिना अवलोकन किये आदेश पारित किया गया है जो निरस्त किये जाने योग्य है ।

(2) अनुविभागीय अधिकारी एवं अपर आयुक्त द्वारा इस वैधानिक स्थिति पर विचार नहीं किया गया है कि उभयपक्ष की सहमति से बटवारा आदेश पारित किया गया है ।

(3) तहसीलदार द्वारा सहमति के आधार पर आदेश पारित किया गया था जिसके विरूद्ध अपील प्रचलन योग्य नहीं थी ।

(4) अपर आयुक्त द्वारा नामान्तरण नियमों के नियम 27 के प्रावधानों को अनदेखा कर आदेश पारित किया गया है ।

(5) अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस वैधानिक स्थिति पर विचार नहीं किया गया है कि प्रश्नाधीन भूमि सभी पक्षकारों के नाम राजस्व अभिलेख में चले आ रहे हैं ।

तर्क के समर्थन में 2007 आरएन 359 का न्यायदृष्टांत प्रस्तुत किया गया ।

4/ अनावेदकगण के सूचना उपरांत अनुपस्थित रहने के कारण उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई है ।

5/ उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्को के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया। अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है प्रश्नाधीन भूमि सह–खाते में थी एवं आवेदक का 1/2 हिस्सा तथा नत्थू का 1/2 हिस्सा था । प्रकरण में नत्थू के वारिसों का केवल नत्थू के स्वामित्व एवं स्वत्व एवं हिस्से की 1/2 भूमि पर ही सभी वारिसों का फौती नामान्तरण होना चाहिये, इसलिये अपर आयुक्त द्वारा निकाला गया यह निष्कर्ष वैधानिक एवं उचित होने से स्थिर रखे जाने योग्य है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त नर्मदापुरम संभाग होशंगाबाद द्वारा पारित आदेश दिनांक 6–6–2013 स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर